रिपोर्ट में चुनींदा जिलों में सम्भाव्यता वाड 34 क्रियाकलापों के लिए परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु राज्य शामिल किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए पकेजिंग सामग्री के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया । इस अध्ययन में जिन अथक्षम परियोजनाओं के लिए संभाव्यता का पता लगाया गया, वे हैं जूट की छड़ियों से पार्टिकिल बोर्ड तथा जआरपी शीट्स' कपास के डंठलों से क्राफ्ट पेपर अप तथा सीएफबी बाक्स नारियल-जटा जूट की छड़ियां' कपास के डंठलों तथा अन्य कृषिजन्य अपशिष्टों का प्रयोग करते हुए, नारियल जटा (कायर) नीडल फेल्ट तथा पाली कपर बोर्ड ।

(ग) नाबार्ड ने वर्ष 1995–96 के करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता दी है। राज्यवार आबंटन निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए में)

राज्य	राशि
हिमाचल प्रदेश . .	160
जम्मू एवं कश्मीर . .	15
त्रिपुरा . . .	1
बिहार . . .	250
उडीसा . . .	10
मध्य प्रदेश . .	170
उत्तर प्रदेश . .	115
गुजरात . . .	400
गोवा . . .	8
केरल . . .	480
मिलनाडु . .	100
जोड़	1709

भारतीय बैंकों की क्षमता

4350. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु बैंकों की क्षमता में वृद्धि करने के मामले में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार हमारे बैंकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी जारी किये जाने के संबंध में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए कार्यनिष्पादन बाध्यताओं और प्रतिबद्धताओं से संबंधित दस्तावेजों में, बैंकों ने महत्वपूर्ण/चयनात्मक क्षेत्रों में मशीनीकरण के लिए सहमति व्यक्त की है । आशा की जाती है कि इससे विदेशी बैंकों के मुकाबले भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी ।

पिछड़े और कमजोर वर्गों को ऋण

4351. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में मिली शिकायतों की जानकारी है , जो कि गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण देने के मामले में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों को परेशान कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एम वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ आई आरडीपी की उपेक्षा, इसे कार्यान्वित करने/भाग न लेने, आईआरडीपी की उपलब्धि की धीमी प्रगति आदि जैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों से कहा है कि वे उनके लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और आईआरडीपी के अंतर्गत पर्याप्त और समय पर ऋण भी प्रदान करें । यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अधिक ऋण उपलब्ध कराए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को विस्तृत हिदायतें जारी की हैं । सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जब कभी अनियमितताएं शिकायतें प्राप्त होती हैं तब भारतीय रिजर्व बैंक उनकी जांच करता है और बैंकों को उपयुक्त परामर्श देता है ।

Loans to SSIs by Public Sector Banks in Gujarat

4352. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: (a) the number of loan applications received from Small Scale Industries by the Public Sector Banks in Gujarat during the last three years and the amounts sanctioned therefor;

(b) whether the above banks have provided loans to the small scale industries in time to avoid sickness in the industry;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) The data reporting system of the Reserve Bank of India (RBI) does not generate information in the manner asked for. However, according to the latest available data furnished by RBI, loans disbursed by scheduled commercial banks to small scale industrial (SSI) units in the State of Gujarat as at the end of June 1991, June 1992 and June 1993 were as under:

(Rs. crores)

Year ending	No. of Account	Amount disbursed
June, 1991	36466	248.15
June, 1992	39697	241.34
June, 1993	15230	233.16

(b) to (d) RBI has issued instructions to all scheduled commercial banks that applications upto a credit limit of Rs. 25,000|- should be disposed of within a fortnight and those for over Rs. 25.000|- with in 3-4 weeks from the date of receipt of applications. Banks have also been advised that requests for increase in credit limits should be considered expeditiously and decision taken promptly and in any case within six weeks.